



सामाजिक परिवर्तन में लौकिकीकरण की भूमिका

गीता कुमारी , शोधार्थिनी , मगध विश्विद्यालय

सार

किसी भी आधुनिक शहर में मिलों में काम करने वाले मजदूरों, ऑफिसों में काम करने वाले बाबुओं दुकानदारों, डाक्टरों वकीलों और सरकारी कर्मचारियों आदि के दैनिक जीवन पर दृष्टि डालिए तो आप देखेंगे कि भारत के धर्मप्राण देश कहलाने के बावजूद भी आधुनिक काल में उनके जीवन में धर्म का महत्व बहुत कम रह गया है। अधिकतर पढ़े-लिखे लोग अपने जीवन में विभिन्न क्रियाओं को धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि वैज्ञानिक अथवा अन्य उद्देश्यों से करते हैं। वे जिन पुरानी परम्पराओं को मानते भी हैं उनको इस कारण नहीं मानते कि धर्म के द्वारा उनका विधान किया गया है बल्कि वे उनके मूल में किसी न किसी कारण की तलाश कर लेते हैं और उसे व्यक्ति अथवा समाज के लिये लाभदायक मानकर मानते हैं। केवल पढ़े-लिखे लोगों में नहीं बल्कि बेपढ़े-लिखे लोगों में भी धर्म का सम्मान कम होता जा रहा है यद्यपि निश्चय ही पढ़े-लिखे लोगों की तुलना में भारत में उनके जीवन में आज भी धर्म का कहीं अधिक महत्व है। जीवन का यह लौकिकीकरण केवल नगर में ही दिखाई पड़ता हो ऐसी बात नहीं है, गाँवों में भी दिनचर्या में विभिन्न त्यौहारों और रीति-रिवाजों में धर्म का महत्व कम होता जा रहा है। वर्तमान भारत में नगरों और गाँवों में सब कहीं लौकिकीकरण का प्रभाव अन्य धर्मों की तुलना में हिन्दू धर्म में अधिक दिखलाई पड़ता है। आज भी मुस्लिमों, सिखों जैनों तथा अन्य धर्मों के अनुयायियों की तुलना में हिन्दुओं में लौकिकीकरण अधिक हुआ है।

मुख्य शब्द : वर्तमान, भारत, लौकिकीकरण, राजनीतिक, राजनीतिक इत्यादि।

प्रस्तावना

आधुनिक काल में लौकिकीकरण के प्रभाव से संस्कारों के महत्व और विधि-विधानों में भारी परिवर्तन हो गया है। उदाहरण के लिए गर्भाधान, पुंसवन और जातकर्म नामक संस्कार तो लगभग समाप्त हो गए हैं और पढ़े-लिखे लोग इनका अर्थ भी नहीं जानते इस प्रकार सबसे पहला संस्कार नामकरण संस्कार रह गया है। यह भी धार्मिक से अधिक सामाजिक अवसर बन गया है जिसमें सगे-सम्बन्धी एकत्रित होते हैं, मिलकर खाते-पीते और बालक के जन्म का हर्ष मनाते हैं। नामकरण के अवसर पर अब भी पंडित को बुलाया जाता है और वह कुछ यज्ञ आदि विधि-विधान करता है परन्तु उपस्थित लोग उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। उपनयन संस्कार की प्रथा पढ़े-लिखे और नगरीय परिवारों में विवाह के संस्कार के साथ जोड़ दी गई है। अधिकतर विवाह के कुछ ही दिन पूर्व उपनयन संस्कार किया जाता



है। जिसमें अधिकतर पुरुष केवल कुछ समय के लिए जनेऊ धारण करते हैं। संस्कार के विधि-विधानों में सबसे अधिक परिवर्तन विवाह संस्कार में दिखलाई पड़ता है। आजकल हिन्दू विवाह संस्कार के प्राचीन विधानों में केवल सप्तपदी और कन्यादान ही रह गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सब कार्य सुविधा अथवा रुचि के अनुसार किए जाते हैं। सप्तपदी में भी कम-से-कम समय देने की चेष्टा की जाती है और लड़के के साथ आए हुए बाराती उसमें विशेष रुचि नहीं दिखलाते।

लौकिकीकरण का अर्थ:

डॉ. एम. एन. श्रीनिवास ने लौकिकीकरण की परिभाषा करते हुए लिखा है- "लौकिकीकरण शब्द से यह तात्पर्य है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था, वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है और उसका तात्पर्य विभेदीकरण की एक प्रक्रिया से भी है जो कि समाज के विभिन्न पहलुओं आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक के एक दूसरे के प्रति सम्बन्ध में अधिक से अधिक पृथक होने में दिखलाई पड़ती है।

इस प्रकार लौकिकीकरण की प्रक्रिया धार्मिकता की विरोधी है। दूसरे शब्दों में ज्यों-ज्यों लौकिकीकरण बढ़ता है त्यों-त्यों धार्मिकता कम होती है। भारतवर्ष में गाँवों और नगरों में विशेषतया हिन्दू समाज में धर्म का प्रभाव घटने के अनुपात में लौकिकीकरण बढ़ा है।

संक्षेप में इसके निम्नलिखित लक्षण माने जा सकते हैं:

लौकिकीकरण से परिवर्तन:

लौकिकीकरण के उपरोक्त लक्षणों से उसकी प्रकृति स्पष्ट होती है। आधुनिक भारत में लौकिकीकरण की प्रक्रिया अंग्रेजी शासनकाल में विशेष रूप से विकसित हुई और नगरीकरण तथा औद्योगिकीकरण के बढ़ने के साथ-साथ तेजी से बढ़ती गई। लौकिकीकरण के कारणों की विवेचना करने के पूर्व यह देखना उपयुक्त होगा कि सामाजिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया से भारत में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या-क्या परिवर्तन हुआ है। संक्षेप में, लौकिकीकरण से होने वाले मुख्य परिवर्तन तीन क्षेत्रों में दिखलाई पड़ते हैं- जाति-व्यवस्था, परिवार की संस्था और ग्रामीण समुदाय। इन तीनों ही क्षेत्रों में हिन्दू समाज में लौकिकीकरण दिखलाई पड़ता है। डॉ. एम. एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक 'Social Change in Modern India' में इन्हीं क्षेत्रों में लौकिकीकरण के प्रभाव का विश्लेषण किया है। यहाँ पर इन तीनों क्षेत्रों में लौकिकीकरण के प्रभाव का संक्षेप में विवेचन किया जायेगा।

जाति-व्यवस्था पर लौकिकीकरण का प्रभाव:

हिन्दू जाति-व्यवस्था में लौकिकीकरण का प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है:

➤ अशुद्धता और शुद्धता की धारणायें:



हिन्दू समाज में धर्म का प्रभाव सबसे अधिक अशुद्धता और शुद्धता की धारणाओं में दिखाई पड़ता है। धार्मिक दृष्टिकोण से समाज में कुछ कार्यों को अशुद्ध ठहराया गया है, विशेषतया नीची जातियों के उन्हें करने से वे अशुद्ध मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए हिन्दू सामाजिक संस्तरण में अनेक कार्य जिन्हें शूद्र करते हैं उन्हें करने से ब्राह्मण को अपवित्र हुआ समझा जाता है। अपवित्रता की भावना के साथ-साथ छुआछूत की भावना भी लगी हुई है। उच्च जातियों के व्यक्तियों के लिए निम्न जातियों अथवा अछूत कहलाने वाली जातियों के साथ खाना-पीना, उठना-बैठना तो क्या, केवल सम्पर्क होने मात्र से भी उच्च जाति का व्यक्ति अपवित्र हुआ माना जाता है। सम्पर्क के अतिरिक्त भोजन, व्यवसाय और जीवन के अनेक कार्यों से भी शुद्धता की धारणायें लगी हुई हैं।

➤ संस्कारों में परिवर्तन:

संस्कार हिन्दू जाति-व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता है। विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न अवसरों पर विभिन्न संस्कार आवश्यक माने गए हैं उदाहरण के लिये उपनयन संस्कार के बिना कोई भी ब्राह्मण द्विज नहीं माना जा सकता। प्राचीन काल में विद्याध्ययन प्रारम्भ होने के कुछ ही समय बाद संस्कार कर दिया जाता था। हिन्दू धर्म के मनुष्यों के लिए जन्म से मृत्यु तक अनेक संस्कारों की व्यवस्था है जिनमें मुख्य हैं गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण, उपनयन, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। इन सभी संस्कारों के अवसरों पर विधि-विधान का विस्तार से वर्णन किया गया है और संस्कार को भली प्रकार पूरा करने के लिए उन सब विधि-विधानों को मानना आवश्यक समझा जाता है। विवाह का अवसर धार्मिक से अधिक एक सामाजिक अवसर हो गया है जिसमें सगे-सम्बन्धियों के मिलने-जुलने, खाने-पीने आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। विवाह के संस्कार में लौकिकीकरण का प्रभाव सबसे अधिक दहेज की प्रथा में दिखाई पड़ता है। विवाह-सम्बन्ध दहेज की मात्रा से तय किए जाते हैं; उनमें धार्मिक बातों को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता।

परिवार में लौकिकीकरण:

परिवार और विवाह की संस्थाएँ मुख्य सामाजिक संस्थाएँ हैं इनमें विवाह की संस्था पर लौकिकीकरण के प्रभाव का पीछे वर्णन किया जा चुका है। विवाह विच्छेद की व्यवस्था और सिविल मैरिज की व्यवस्था हो जाने से हिन्दू विवाह का और भी अधिक लौकिकीकरण हो गया है। परिवार की संस्था में लौकिकीकरण का प्रभाव सबसे अधिक सदस्यों की दिनचर्या में दिखलाई पड़ता है। हिन्दू धर्म विभिन्न जातियों के व्यक्तियों के लिए विशेष दिनचर्या निर्धारित करता है। ब्राह्मणों के लिए पूजा-पाठ, सन्ध्या, यज्ञ आदि का विधान है परन्तु लौकिकीकरण के प्रभाव से ब्राह्मण परिवारों में भी बहुत ही कम लोग नित्य कर्म में निर्धारित इन कार्यक्रमों को करते देखे जाते हैं स्त्रियों में शिक्षा के प्रभाव से परिवार में



चूल्हे-चौंके का लौकिकीकरण हुआ है और उसमें धर्म का प्रभाव तथा शुद्धि और अशुद्धि का विचार लगभग उठ ही गया है। परिवार में खान-पान आदि में धार्मिक विचारों का प्रभाव बहुत कम रह गया है। विभिन्न त्यौहार अब भी मनाए जाते हैं परन्तु उनके धार्मिक महत्व के स्थान पर उनके सामाजिक पहलू पर अधिक जोर दिया जाता है। पढ़े-लिखे लोग होली, दीवाली आदि त्यौहारों को उनके धार्मिक महत्व के कारण नहीं बल्कि उनके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व के कारण मानते हैं। अनेक त्यौहारों रीति-रिवाजों और परम्पराओं के मूल में छिपे हुए वैज्ञानिक तथ्यों का उद्घाटन होने से उनका महत्व पहले से भी अधिक बढ़ गया है। परन्तु इसके कारण धार्मिक न होकर लौकिक है। लौकिकीकरण में परिवार की संस्था का योगदान सबसे अधिक है क्योंकि आधुनिक परिवारों में न केवल दिनचर्या में धर्म का महत्व कम है बल्कि साधु-सन्तों के सत्कार करने की प्रथा भी उठ गई है इससे समाज में धर्म का प्रभाव कम हुआ।

ग्रामीण समुदाय पर लौकिकीकरण का प्रभाव:

भारतीय नगरों में तो लौकिकीकरण अत्यधिक मात्रा में दिखाई पड़ता ही है किन्तु ग्रामीण समुदायों में भी उसका प्रभाव कम नहीं है। ग्रामीण समुदाय में जाति-पंचायतों की शक्ति घटती जा रही है और जहाँ-कहीं ये पंचायतें हैं भी वहाँ वे धार्मिक लक्ष्यों से नहीं बल्कि राजनीतिक लक्ष्यों को लेकर संगठित की गई हैं। ग्रामीण समाज में सम्मान का आधार धार्मिकता अथवा जाति न रहकर धन और सम्पत्ति हो गए हैं। इस कारण जमींदार और साहूकार का जितना सम्मान है उतना ब्राह्मण का नहीं है। पैसा हो जाने पर निम्न जाति के व्यक्तियों को भी उच्च जाति के व्यक्तियों से अधिक सम्मान दिया जाता है। परिवार की संस्था में धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा है। इस सम्बन्ध में ग्रामीण परिवार में भी वे ही परिवर्तन दिखलाई पड़ते हैं जिनका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। फिर भी नगरीय परिवार की तुलना में ग्रामीण परिवार का लौकिकीकरण बहुत कम हुआ है। ग्रामीण समुदाय में विवाह के मामले में उपजातियों का विचार नहीं किया जाता यद्यपि अन्तर्जातीय विवाह बहुत कम होते हैं फिर भी लौकिकीकरण के प्रभाव से ब्राह्मण के घर में बनैनी और क्षत्रिय के घर में ब्राह्मणी स्त्री देखी जा सकती है।

लौकिकीकरण के कारण:

आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिकीकरण के उपरोक्त विवेचन से उसके कुछ कारणों पर भी प्रकाश पड़ता है।

भारत में लौकिकीकरण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

- आधुनिक शिक्षा:



लौकिकीकरण का सबसे बड़ा कारण आधुनिक शिक्षा है जो कि अंग्रेजों के साथ भारत में आई। इस शिक्षा के साथ भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश हुआ अंग्रेजी भाषा, ज्ञान-विज्ञान और पाश्चात्य संस्कृति की जानकारी बढ़ने के साथ-साथ देश में परम्परागत हिन्दू धर्म का प्रभाव कम होने लगा। इसीलिए वर्तमान लौकिकीकरण की धारा को अंग्रेजी शासनकाल में शुरू हुआ माना जा सकता है। आधुनिक शिक्षा ने सबसे अधिक विभिन्न समस्याओं की ओर वैज्ञानिक और विवेकयुक्त दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया।

- **यातायात और सन्देशवहन के साधनों का विकास:**

लौकिकीकरण में यातायात और सन्देशवहन के साधनों के विकास का महत्वपूर्ण योगदान है रेलों बसों, टैक्सियों आदि के व्यापक प्रचार से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे जिससे उनको नए-नए लोगों से मिलने का अवसर मिला और उनके विचारों में उदारता आई इससे जाति व्यवस्था को धक्का लगा और उस पर आधारित छुआछूत के विचार समाप्त होने लगे।

- **सामाजिक और आर्थिक सुधार आन्दोलन:**

अंग्रेजी शासनकाल में भारतवर्ष में राजाराम मोहन राय, सर सैयद अहमद खाँ, केशवचन्द्र सेन, महादेव गोविन्द रानाडे, महात्मा गाँधी, स्वामी दयानन्द इत्यादि महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक सुधार के अनेक आन्दोलनों को उठाया जिनसे हिन्दू धर्म में व्यापक सुधार हुए, जाति-पति और छुआछूत के विचार समाप्त होने लगे और लौकिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। इन आन्दोलनों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना-समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी तथा सर्वोदय आन्दोलन विशेष उल्लेखनीय हैं।

- **वैधानिक सुधार:**

आधुनिक काल में हिन्दू विवाह की संस्था पर हिन्दू कोड द्वारा किए गए वैधानिक परिवर्तनों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। हिन्दू विवाहित स्त्रियों के पृथक् निवास और निर्वाह व्यय अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू दत्तक पुत्र ग्रहण और निर्वाह व्यय अधिनियम तथा हिन्दू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम से हिन्दू परिवार और विवाह की संस्थाओं का लौकिकीकरण हुआ है।

सन् 1955 ई. के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम से हिन्दू समाज में छुआछूत एवं पवित्रता और अपवित्रता की धारणाओं को गहरा आघात लगा है। आधुनिक भारत में सभी वयस्क-स्त्री-पुरुषों को कानून की दृष्टि में समान माना गया है। सभी को मतदान करने का अधिकार है और सभी के लिए सभी व्यवसायों के दरवाजे खुले हुए हैं। इन वैधानिक व्यवस्थाओं के अलावा भारतीय राज्य को लौकिक



राज्य की घोषणा किए जाने से देश में लौकिकीकरण को सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला है इस प्रकार लौकिकीकरण में सरकार और कानून का महत्वपूर्ण योगदान है ।

- **हिन्दू धार्मिक संगठन का अभाव:**

धार्मिक दृष्टि से ईसाई, मुस्लिम, जैन, सिख आदि जितने संगठित हैं वैसा संगठन हिन्दू धर्म में नहीं दिखलाई पड़ता । हिन्दू धर्म के विशाल क्षेत्र में अनेक मत सम्प्रदाय हैं जिनके अलग-अलग मठ धार्मिक नेता और धार्मिक संगठन हैं । इन सभी सम्प्रदायों के हिन्दू होते हुए भी सामान्य रूप से इनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं रहता।

निष्कर्ष

भारतवर्ष में लौकिकीकरण की प्रक्रिया की लगातार वृद्धि के कारणों के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि निकट भविष्य में इस प्रक्रिया के कम होने की कोई सम्भावना दिखलाई नहीं पड़ती । इधर 'विश्व हिन्दू परिषद्' के नाम से एक नई संस्था समस्त विश्व के हिन्दुओं को संगठित करने का प्रयास कर रही है । इस प्रयास से हो सकता है कि विश्व में बिखरे हुए हिन्दू राजनीतिक दृष्टि से संगठित हो जायें, किन्तु यह आशा नहीं की जा सकती कि पढ़े-लिखे हिन्दुओं के जीवन में बढ़ती हुई लौकिकीकरण की प्रक्रिया किसी भी प्रकार कम हो जायेगी। वास्तव में लौकिकीकरण की वृद्धि का मूल कारण यह है कि हिन्दू धर्म में हिन्दू कहलाने के लिए किसी भी धार्मिक नियम को मानना आवश्यक नहीं है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दू को पूर्ण स्वतन्त्रता है । विचारों और क्रियाओं की इस स्वतन्त्रता से और विज्ञान के प्रभाव से अधिकतर शिक्षित हिन्दू स्त्री-पुरुष कोई भी धार्मिक क्रिया नहीं करते और बहुत से कम धार्मिक विश्वास रखते हैं । यदि भविष्य में हिन्दू समाज का धार्मिक संगठन सुदृढ़ हो जाये और कुछ धार्मिक नियमों का पालन प्रत्येक हिन्दू के लिए आवश्यक मान लिया जाये तो भले ही लौकिकीकरण की यह प्रक्रिया किसी सीमा तक मन्द हो सकती है । वास्तव में हिन्दू के अलावा प्रत्येक धर्म में उस धर्म का अनुयायी कहलाने के लिए कुछ नियमों का पालन आवश्यक माना जाता है । उदाहरण के लिए मुसलमान के लिए अल्लाह की एकता में यकीन करना आवश्यक है और यह भी मानना जरूरी है कि मोहम्मद अल्लाह का पैगम्बर था । अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन लाए बिना कोई भी व्यक्ति मुस्लिम नहीं कहला सकता । इसी कारण मुसलमानों में लौकिकीकरण उतना नहीं हुआ है जितना हिन्दुओं में दिखाई पड़ता है वास्तव में यदि हिन्दू धर्म को हिन्दू समाज के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देना है तो कुछ धार्मिक नियमों का पालन प्रत्येक हिन्दू कहलाने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए जिससे कि एक ओर हिन्दू धर्म को अन्य धर्मों से अलग पहचाना जा सके और दूसरी ओर इस धर्म के मानने वालों को परस्पर धार्मिक एकता का अनुभव हो ।



सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. Baron, Salo W. - A social and religious History of the Jews, Columbia University Press, New York, 1952 Barth, A - Religion of India, New Delhi, 1969.
2. Baseom, William R - "The Myth- Ritmal Theory "Journal of American Folklore, LXX, 1957, 103-114
3. Andrue Tox - The man and faith, George Allen and Unwin, London, 1936
4. Argyle Michael - Religious Behaviours, Free Press Glancoe Ill, 1959
5. Banton, M (Ed.) - Anthropological Approaches to the study of Religion, London, 1966
6. Srinivas M.N. Social Change in Modern India, P-119
7. Michael Mann (Ed.) : Macmillan Student Encyclopaedia of Sociology, Macmillan, London, 1994, p. 346.